

प्रेषक,

संख्या-1532/13-17-80-83/378/87

श्री एसोसियो मातम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

डिप्टी
सेनेट डी उ ग्राम, सेनेटरी सुबेडान,
2/19, वी विहार झारी रोड,
दीरघाबाज, नड दिरसी।

विभागा अनु-भाग-17

तखाना: दिनांक 21 अगस्त, 1980

विषय:- जान बास्को सुभा, लखीमपूर जमीरी को अनापीरत प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में।

प्रकोप्य,

शुभे यह कर्ने का निर्देशा कर - कि जान बास्को सुभा, लखीमपूर जमीरी को सेनेट डी उ ग्राम, सेनेटरी सुबेडान, दिरसी से सम्बन्धित प्रदान किये जाने में प्रा राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रा... को ध्यान में रखते हुए अनापीरत नहीं है:-
1) सामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रधान समिति को... द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रति... में स्वतंत्र, अध्यापी और पिछड़े स्वं निम्न... के प्रदर्शन... लिए... द्वारा... विद्यालयों में विभिन्न... के लिए निम्नलिखित... द्वारा... नहीं किया जाएगा।
- 3- विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा... नहीं दिया जाएगा।
- 4- विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं प्रशिक्षित होंगी। विद्यालय के विद्यार्थी विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित कैम्पमानों तथा अन्य भत्तों से कम कैम्पमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जाएंगे।
- 5- राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों को भी उपदेहा निम्न दिये जाएंगे... विद्यालय के लिए अभिवाय होगा।
- 6- विद्यालय में अनुसूचित तथ... विद्यालय का स्तर उच्चकोटि का रखा जाएगा।

Israel
MANAGER / PRINCIPAL
St. Don Bosco College
Kheri Road
Lakhimpur, U.P.

2) विशेष प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रधान समिति रजिस्टर्ड होगी तथा सम्बन्धित पर निम्नानुसार उपाय नहीं बाधना भी कराया जाएगा।
- 2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनु-भाग के लिए उचित आकर के फर्निचर...

दो वैकल्पिक विद्यालय-का, दो प्रयोगशाला का तथा चार प्रशासनिक
का ही व्यवस्था की जाएगी।

- 3- कर्मचारियों की सेवा वाले क्वाटी जाड़ेगी और उन्हें उदायका प्रायः अक्षातकी
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा-निर्णीतक लाभ
उपलब्ध कराये जाएंगे।
- 4- विद्यालय का भेजा छोटा निधारीता प्रपत्रों/ पीपीएचओ में रखा जाएगा।
- 5- विद्यालय में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य के अलावा-अलावा पद होने पाकिर। आः
ऐसी व्यवस्था सुरन्त की जाय कि विद्यालय का वर्तमान प्रधानाचार्य को
विद्यालय का प्रधानाचार्य भी है, क्वेश एच पद पर या दो प्रधानाचार्य रखा जाय
अथवा प्रधानाचार्य पर रखा जाय और दूसरे पद पर किसी अन्य उपयुक्त
व्यक्ति को रखा जाये।
- 6- विद्यालय के पास किसी भूमि एवं भावन हों। वर्तमान समय में को लीज रेंट पर
विद्यालय भावन अक्षाया मया है उसे विद्यालय के नाम विद्यालय स्व में अन्तारित
किया जाय।

2- उक्त शायो का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय एक उक्त
शायो में से किसी भी बात का उत्सर्जन होने पर राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापीत
प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जाएगा।

भाषदीय,

संख्या- 1532-111/15-17-89-तददिनांक


रत्नोस्तो गोतम ?
धनुस्त तपिध

प्रतिष्ठित विभागीय को सुभाष एवं आकाशक अध्यायी, हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उज्जैन, विधिपर अयालय, लखनऊ।
- 2- उच्च शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल, लखनऊ।
- 3- शिक्षा विभाग निरीक्षक, जौरी।
- 4- निरीक्षक, आंगत भारतीय विद्यालय, एच उज्जैन, लखनऊ।
- 5- प्रधानाचार्य, जन धारको इका, लखीमपुर, जौरी।


MANAGER / PRINCIPAL
St. Don Bosco College
Kheri Road
Lakhimpur, U.P.

आशा है,


रत्नोस्तो गोतम ?
धनुस्त तपिध